भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2900

18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : उत्तर प्रदेश में आर.के.वी.वाई

2900. श्री अरुण कुमार सागरः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत विशेषकर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुछ कार्य किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत आबंटित और उपयोग की गई केंद्रीय निधि का ब्यौरा क्या है, तथा लाभार्थियों की राज्यवार और वर्षवार संख्या कितनी है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): राज्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत परियोजना आधारित मोड से काम कर रहे हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कृषि के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार परियोजनाओं का प्रस्ताव रखने की छूट है।

उत्तर प्रदेश सरकार से मिली जानकारी के अनुसार शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र में आरकेवीवाई के तहत किए गए काम इस प्रकार हैं:-

i. गन्ना उत्पादन में वृद्धि तथा उच्च गुणवत्ता वाले गन्ना बीज उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम।

ii. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)।

iii. आईसीडीपी-चावल और गेहूं, जिप्सम वितरण, हरी खाद के लिए ढैंचा/सनई बीज और किसान पाठशाला ।

iv. 2023-24 और 2024-25 के दौरान कृषि वानिकी कार्यक्रम।

v. नमामि गंगे कार्यक्रम एवं परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

vi. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना (आरएडी)।

vii. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता।

viii. कृषि मशीनीकरण उप मिशन (एसएमएएम) और फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) आदि ।

(ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान आरकेवीवाई के अंतर्गत कुल आवंटन और रिलीज निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आवंटन	रिलीज
2021-22	3712.44	1729.11
2022-23	10741.86	5273.33
2023-24	7774.83	5761.54

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभार्थियों का विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। पिछले तीन वर्षों में आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

लो.स.अता.प्र.सं.2900

अनुबंध- I

पिछले तीन वर्षों में आवंटित एवं उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्यों का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
		आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज
1.	आंध्र प्रदेश	203.47	97.19	580.83	318.56	414.19	205.98
2.	बिहार	140.95	69.77	285.52	43.83	192.80	94.64
3.	छत्तीसगढ़	91.03	43.27	212.68	149.96	164.60	162.41
4.	गोवा	17.94	0.00	30.87	4.69	16.18	4.05
5.	गुजरात	145.84	69.39	592.84	185.23	405.76	404.04
6.	हरियाणा	83.89	64.23	210.01	161.38	409.40	204.70
7.	हिमाचल प्रदेश	23.54	11.68	102.61	15.55	64.46	16.12
8.	झारखंड	60.02	0.00	130.26	34.44	114.65	46.57
9.	कर्नाटक	218.84	113.08	800.06	357.93	583.24	761.87
10.	केरल	63.11	50.44	140.56	130.88	88.80	28.26
11.	मध्य प्रदेश	197.46	96.62	606.84	180.67	413.53	258.55
12.	महाराष्ट्र	249.23	120.55	733.23	487.33	514.12	255.06
13.	उड़ीसा	107.26	49.58	245.73	43.32	193.00	222.05
14.	पंजाब	151.29	75.36	126.87	3.75	336.51	136.63
15.	राजस्थान	179.64	87.80	468.77	314.37	362.93	180.97
16.	तमिलनाडु	197.96	171.50	799.36	398.92	494.90	694.65
17.	तेलंगाना	207.64	0.00	334.30	33.22	170.34	0.00
18.	उत्तराखंड	54.15	49.87	309.63	245.67	173.99	101.69
19.	उत्तर प्रदेश	302.71	145.10	722.92	482.77	670.49	595.15
20.	पश्चिम बंगाल	188.01	92.75	269.16	189.91	171.88	254.60
21.	अरुणाचल प्रदेश	14.74	6.27	78.25	33.21	58.17	82.41
22.	असम	159.95	150.69	325.87	204.50	198.68	300.18
23.	मणिपुर	23.25	17.47	109.26	38.92	75.13	59.74
24.	मेघालय	23.70	10.79	59.66	1.69	52.73	28.70
25.	मिजोरम	33.65	16.11	120.27	30.57	58.12	49.39
26.	नागालैंड	17.14	26.95	115.05	128.00	92.44	188.33
27.	सिक्किम	9.40	4.14	98.25	66.48	66.08	146.41
28.	त्रिपुरा	52.31	52.27	119.42	70.63	69.27	92.79
29.	दिल्ली	0.23	0.00	0.10	0.00	10.62	0.00
30.	पुदुचेरी	4.04	0.00	6.33	4.91	2.59	0.65
31.	जम्मू और कश्मीर	10.58	0.00	39.33	4.81	52.84	26.42
32.	अंडमान एवं निकोबार	2.61	1.30	3.87	0.00	9.92	1.62
33.	चंडीगढ़	0.13	0.00	0.10	0.00	1.92	0.00
34.	डी एंड एन हवेली और दमन और दीव	0.21	0.00	0.20	0.00	15.45	0.00
35.	लक्षद्वीप	0.10	0.00	2.37	0.00	1.30	0.00
36.	लद्दाख	9.00	0.00	15.80	0.67	16.56	4.14
अंडमान		120.00	36.24	1244.68	906.58	1067.57	152.79
कुल योग		3712.44*	1729.11	10741.86*	5273.33	7774.83*	5761.54

* राज्यों को 125% वार्षिक परिव्यय आवंटित किया जाता है ।

*****